

श्री-26 (सी)
अंश 153 ए

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

पोरष सेवदा

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या :- 259/2025

--:आदेश:-

दिनांक:- 13/5/25

प्रार्थी पोरष सेवदा पुत्र श्री टिकमराम जाति जाट निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम हरियाडा की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 521 के खसरा नंबर 534/1 में दर्ज अशुद्ध नाम पारसराम उर्फ पोरष सेवदा पुत्र टिकमराम जाति जाट निवासी हरियाडा का शुद्ध नाम पोरष सेवदा पुत्र श्री टिकमराम जाति जाट निवासी हरियाडा की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा